समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैंप सागर

1. कलू उर्फ सुरेश तनय प्यारेलाल रैकवार R-139-II/16
2. रमेश पिता प्यारेलाल रैकवार
   दोनों निवासी ग्राम तेन्दूखेडा,
   जिला-दमोह(म0प्र0) .....आवेदकगण

//बनाम//

1. गुड्डा तनय कलू विश्वकर्मा
2. सरू रैकवार पिता रमेश रैकवार
3. भरू रैकवार पिता रमेश रैकवार
   सभी निवासी ग्राम तेन्दूखेडा,जिला-दमोह.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण माननीय उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन नंबर 17248/2015 में पारित आदेश दिनाँक 09.10.2015 में दिये गये निर्देश के पालन में यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 331/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनाँक 25.08.2015से परिवेदित होकर यह गिनरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः-

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मौजा तेंदूखेडा स्थित भूमि ख0नं0260/75,260/76 रकवा क्रमशः 0.005,0.006हे0 भूमि में आवेदकगणों के मकान बने हुये है, उक्त मकान स्व0पुनियां उर्फ पुनाबाई के नाम दर्ज था जिन्होंने दिनाँक 10.02.1965 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरीये भुज्जीलाल वल्द तरवर केवट से क्रय किया था आवेदकगण पूनाबाई के साथ ही निवासरत थे। उपरोक्त मकान का आवेदकगणों के पक्ष में दिनाँक 01.12.1993 को रजिस्टर्ड वसियतनामा पूनाबाई अपने जीवनकाल में ही कर गयी थी जिनकी मृत्यु दिनाँक 24.04.1994 में हो गयी थी, तभी से

Page-2Cont-----

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-139-II/16 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-1-2016	मेरे द्वारा प्रकरण में निगराकार के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं प्रकरण के अभिलेखों का परिशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के WP No. 17248/2015 में पारित आदेश दि. 9.10.15 का सदर्भ लेते हुए उसमें दिये निर्देशों के अनुसार निगरानी के निर्णय हेतु अनुरोध किया गया। मान. उच्च न्यायालय के इस आदेश दि. 9.10.15 में यह निर्देश लिखा है कि यदि आवेदक धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी दायर करता है, तो अपीलीय प्राधिकारी उस पर विचार कर विधि अनुसार बोलते हुए आदेश से यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। चूंकि अपर आयुक्त सागर प्रकरण में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी रहे हैं, एवं चूंकि रा.मं. के समक्ष आवेदक द्वारा निगरानी दायर की गई है, एवं म.प्र.भू.रा.संहिता में तृतीय अपील का प्रावधान नहीं है, अतः मान. उच्च न्यायालय के निर्देश के प्रकाश में एवं उसके अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी अपर आयुक्त सागर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक द्वारा राजस्व मंडल में प्रस्तुत इस प्रकरण के निगरानी मेमो में एवं उनके समक्ष इस निगरानी के पूर्व एवं उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त बिन्दुओं, तथ्यों एवं तर्कों को विचार में लेते हुए विधि के अनुसार बोलता हुआ	

[कृ. प. उ.

R-139-II/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आदेश शीघ्रातिशीघ्र पारित करें।
इसके साथ ही अपर आयुक्त सागर द्वारा उनके न्यायालय के प्र.क्र. 33/अ-70/14-15 में पारित आक्षेपित आदेश दि. 25.8.15 निरस्त किया जाता है, ताकि अपर आयुक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऊपर दिये जा चुके निर्देशों के अनुसार नए सिरे से प्रकरण में आदेश पारित कर सकें।

प्रकरण प्रत्यावर्तित।

आदेश पारित।

पक्षकार एवं अपर आयुक्त-सागर सूचित हों।

दा.द.हो।

5.1.16